न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 289/2014

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 125,136 RLR Act

अनवान प्रार्थीगण – 1.मीरखां 2.कुशला पि. रिड़मल
जाति मेघवाल, निवासी इब्रे का तला
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.राजस्थान राज्य :– तहसीलदार सेड़वा 2.हाकम पुत्र शेरा
3.सीता पत्नि हाकम, 4.पठाई 5.घमू 6.हाथी पि.बींजा 7.भारमल
पुत्र प्रागाराम 8.अमनाराम पुत्र फूलाराम जाति मेघवाल
9.गोरधनसिंह पुत्र भूपालसिंह 10.बागसिंह 11.गेमरसिंह 12.दीपसिंह
13.सांगसिंह 14.बींजराजसिंह 15.चंदनसिंह पि. द्वारकासिंह
16.अन्तरा बेवा द्वारकासिंह 17.किसनों पुत्री द्वारकाराम
जाति पुरोहित, निवासी इब्रे का तला, तहसील सेड़वा।

अधिवक्ता – प्रार्थीगण वकील – **श्री उदयभानुसिंह**
विप्रार्थीगण वकील – **श्री शाकरखान प्रतिवादी सं. 2 व 3**

निर्णय

दिनांक :– 12/7/17

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता रिड़मलराम पुत्र प्रागाराम अनुसूचित जाति वर्ग के भूमिहीन व्यक्ति होने के कारण सहायक जिलाधीश महोदय बाड़मेर द्वारा दिनांक 16.06.1973 को आदेश क्रमांक 345 के जरिये मौजा ग्राम बावड़ीकला हाल इब्रे का तला तहसील सेड़वा के सरकारी भूमि खसरा सं. 592 में से रकबा 50.00 बीघा भूमि का आवंटन किया । आवंटित भूमि का प्रार्थीगण के पिता को तत्कालीन पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया तब से आज तक प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा वर्तमान में जारी है। लेकिन प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा अनुसार राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन हलका पटवारी द्वारा इन्द्राजित न कर खसरा सं. 592 सरकारी भूमि में से राजस्व रेकर्ड मोमी ट्रेस नक्शा में कब्जे की गलत तरमीम कर दी। जबकि भौतिक कब्जे का सही इन्द्राज नक्शे में पटवारी द्वारा नहीं किया गया। उक्त कारण प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा उक्त वर्तमान खसरा सं. 785/592 में अलग स्थान पर राजस्व रेकर्ड में नक्शे में प्रार्थीगण की तरमीम अलग स्थान पर इन्द्राजित है। उक्त कारण प्रार्थीगण अपनी मौके की भौतिक कब्जे की

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

स्थिति की दुरस्ती करवाने के कानूनन अधिकारी है । इसलिए लट्ठा ट्रेस में तरमीम सही करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया । मूल आवंटी रिड़मलराम की फौतगी के पश्चात पारित नामान्तरकरण सं. 808 दिनांक 06.08.1986 के जरिये मूल खसरा सं. 592 में वर्तमान खसरा सं. 785/592 के रेकर्डेड खातेदार बने है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री शाकर खान ने वकालतनामा पेश किया । विप्रार्थी सं. 2 से 17 के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त। जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2017 कोर्ट कैम्प बींजासर में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं वकील विप्रार्थींगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । प्रस्तुत समक्ष दस्तावेजों, साक्ष्य सबूतों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त प्रार्थीगण के पिता रिड़मलराम पुत्र प्रागाराम अनुसूचित जाति वर्ग के भूमिहीन व्यक्ति होने के कारण सहायक जिलाधीश महोदय बाड़मेर द्वारा दिनांक 16.06.1973 को आदेश क्रमांक 345 के जरिये मौजा ग्राम बावड़ीकला हाल इब्रे का तला तहसील सेड़वा के सरकारी भूमि खसरा सं. 592 में से रकबा 50.00 बीघा भूमि का आवंटन किया । उक्त आवंटन आदेश के पिछे तरमीम की हुई। उक्त तरमीम को निरस्त करवाये बिना प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के आधार पर तरमीम दुरस्ती के आदेश जारी नहीं किये जा सकते है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125, 136 भू.रा.अ. वास्ते मौजा ग्राम बावड़ीकला हाल इब्रे का तला तहसील सेड़वा के सरकारी भूमि खसरा सं. 592 में से रकबा 50.00 बीघा वर्तमान खसरा सं. 785/592 की तरमीम दुरस्ती का सारहीन तथ्यों पर आधारित होने की वजह से खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/2/17 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प में बींजासर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन